13

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर म0प्र0

R 410- I-17

कीरत सींग तनय गुलाब सींग(गौड)
निवासी ग्राम मडिया गौड तहसील व जिला सागर
हाल निवास विदिशा .....निगरानीकर्ता/आवेदक

विरूद्व

म.प्र.शासन .....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 सहपठित धारा 32 एंव धारा 165 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त नामांकित निगरानीकर्ता न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर/तहसीलदार सागर द्वारा प्रकरण क्र 267/बी–121/16–17 से दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है :–

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मडिया गौड स्थित भूमि खसरा क्र 319/10 रकवा 1.21 हे. भूमि आवेदक को पट्टे पर प्राप्त भूमि है तथा उसको भूमिस्वामी अधिकार भी प्रदत्त किए गए है। उक्त वादग्रस्त भूमि को ऋषभ कुमार तनय विनोद कुमार सोनी निवासी हाल रजाखेडी सागर को विक्रय किए जाने हेतु अनुमति प्राप्त हेतु निगरानीकर्ता द्वारा एक आवेदन पत्र कलेक्टर सागर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आवेदन पत्र मुख्यतः इस आधार पर प्रस्तुत किया गया कि वादग्रस्त भूमि ग्राम मडिया गौड में स्थित है तथा आवेदक विगत करीब 20–25 वर्ष से जिला विदिशा में निवासरत् है जिस कारण से वह भूमि पर कृषि कार्य नहीं कर पा रहा है तथा उसे अपनी पुत्री की शादी के लिए पैसों की आवश्यकता है जिस कारण से वह वादग्रस्त भूमि को विक्रय करना चाहता है, परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विपरीत कार्यवाही कर आदेश पारित किया गया है जिससे परिवेदित होकर निगरानीकर्ता की निगरानी सशक्त आधारों पर श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है।

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश –ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक 410/17 जिला .....सागर.....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
1.2.17	1– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित अनावेदक शासन पक्ष की ओर से पैनल अधिवक्ता उपस्थित उभयपक्ष अधिवक्तागणों के तर्क सुने। मैने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी प्रकरण कलेक्टर/तहसीलदार सागर जिला सागर के प्रकरण क्रमांक 267/ बी–121/ वर्ष 16–17 में के विरूद्व प्रस्तुत की गयी है। 2– आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा गया है कि आवेदक की भूमि ग्राम मौजा मडिया गौड खसरा क्र 319/5 रकवा 1.21 हे में स्थित है जो कि उसको पटटे पर प्राप्त भूमि है तथा प्रश्नाधीन भूमि वर्तमान में आवेदक के नाम पर दर्ज भूमि है जिसको विक्रय किए जाने की अनुमति प्राप्त किए जाने हेतु आवेदक द्वारा एक आवेदन पत्र मय शपथपत्र व दस्तावेजों सहित कलेक्टर सागर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। 3– आवेदक द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि आवेदक द्वारा जो भूमि विक्रय की अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया गया था वह इस आधार पर दिया गया था कि आवेदक प्रश्नाधीन भूमि जिला सागर में स्थित में है तथा आवेदक विगत 20–25 वर्षों से जिला विदिशा में निवासरत् है जिस कारण से वह ठीक तरीके से अपनी भूमि की देखभाल नहीं कर पा रहा है साथ ही भूमि कृषि कार्य हेतु उपयुक्त नहीं है, इस कारण से वह इस भूमि को विक्रय कर अन्य स्थान पर कृषि योग्य भूमि क्रय करना चाहती हैं जिससे वह अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर सके तथा अपनी पुत्री का विवाह संपन्न कर सके। आवेदक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष तर्क प्रस्तुत किया कि वर्तमान में उसका स्वास्थ अत्यन्त खराब हो गया है जिस कारण से इलाज हेतु उसे पैसों की अत्यन्त आवश्यकता है। चूंकि वह भूमि को विक्रय	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	करने के उपरान्त उतनी ही अधिक उससे ज्यादा भूमि क्रय करेगी इस प्रकार उसके पास वर्तमान में जितनी भूमि है उसमें कमी नहीं होगी बल्कि उनके पास ज्यादा भूमि हो जायेगी। उनके द्वारा तर्क में यह भी बताया गया आवेदक का भूमि विक्रय की अनुमति प्रदाय किए जाने का आवेदन पत्र लंबित होने से वह अपना सही तरीके से पैसों के आभाव में अपना इलाज एंव पुत्री का विवाह नहीं कर पा रहा है तथा ऐसा प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय प्रकरण को लंबित रखना चाहते है। उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदक द्वारा भूमि विक्रय का इकरार ऋषभ कुमार तनय विनोद कुमार सोनी निवासी हाल रजाखेडी मकरोनिया तह. व जिला सागर से किया गया है तथा वह भूमि को इकरारग्रहीता ऋषभ कुमार को विक्रय करना चाहते है। उक्त आधार पर उनके द्वारा निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया है । 4— उभयपक्ष अधिवक्तागणों के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का तथा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। इस प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि आवेदक द्वारा विक्रय की जा रही भूमि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि है तथा उसकी स्वअर्जित भूमि नहीं है। आवेदक द्वारा अपनी अस्वाथता के संबंध में शपथपत्र भी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत तहसीलदार बीना के प्रतिवेदन की प्रतियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक की प्रश्नाधीन भूमि आवेदक के नाम पर दर्ज भूमि है एंव वह अपनी भूमि को विक्रय करना चाहती है। तहसीलदार सागर के प्रतिवेदन से यह भी स्पष्ट है कि आवेदक के पास ग्राम सगौरिया तह. ग्यारसपुर जिला विदिशा में खसरा क्र 35/3, 37/3, रकवा 1.572, 0.383 भूमि शेष है जिससे आवेदक के इन तर्कों को बल मिलता है कि वह जिला विदिशा में निवासरत् है एंव प्रश्नाधीन भूमि के विक्रय उपरांत वह भूमिहीन की श्रेणी में नहीं आयेगा। साथ ही साथ आवेदक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह अनुरोध किया है कि आवेदक प्रश्नाधीन भूमि को विक्रय कर उसके स्थान पर विक्रय की जा रही भूमि के बराबर अथवा उससे भी अधिक अन्य भूमि अपने	

 R 410-I/17

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	निवास स्थान के समीप क्रय करेगा इस प्रकार उनके पास वर्तमान में जितनी भूमि है उसमें कमी नहीं होगी। अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के उपरान्त प्रकरण की अद्यतन स्थिति के परिप्रेक्ष्य में आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। 5— उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाकर आवेदक को ग्राम मडिया गौड स्थित भूमि खसरा क्र 319/10 रकवा 1.21 हे को ऋषभ कुमार तनय विनोद कुमार सोनी को विक्रय करने की अनुमति निम्न शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि उप पंजीयक विक्रय पत्र संपादित होने के दिनांक को प्रचलित शासन की गाईडलाईन के मान से विक्रयधन विक्रेता को अदा होने की संतुष्टि कर विक्रय पत्र संपादित करें । सदस्य	